न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–76/1995

CIS NO.-166/2019

मृतक शेख अब्दुल मनान के विधिक वारिसान एवं अन्य....................................वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.08.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 शेख अब्दुल बारी की मृत्यु दिनांक 17.03.2022 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी सं0–01 शेख अब्दुल बारी के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपने पत्नि मु0 सलमा खातुन तथा एक पुत्र मो0 अब्दुलाह एवं तीन पुत्री शजदा खातुन, मजदा खातुन एवं हजारा खातुन को छोड़कर मरी है। अतः वादपत्र से वादी संख्या–01 शेख अब्दुल बारी का नाम कलमजद करने तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 शेख अब्दुल बारी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण का आवेदन समय सीमा से दाखिल नही किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–300/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी सं0–01 का नाम कलमजद करें। वाद दिनांक 28.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	